www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-7* *July 2025***

बिहार में ग्रामीण विकास की अवधारणा और वर्तमान स्थिति

ज्योति बाला कुमारी

शोध छात्रा, अर्थशास्त्र, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार

सारांशः भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समग्र प्रक्रिया में ग्रामीण विकास एक केंद्रीय स्थान रखता है, विशेषकर बिहार जैसे राज्य के संदर्भ में, जहाँ जनसंख्या का बहुलांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ''बिहार में ग्रामीण विकास की अवधारणा और वर्तमान स्थिति'' विषयक यह शोधपत्र ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नीति–गत पहलुओं तथा वर्तमान सामाजिक–आर्थिक यथार्थ का विश्लेषण करता है। ग्रामीण विकास को परंपरागत रूप से केवल कृषि उत्पादन एवं भूमि सुधार से जोड़ा गया, परंतु समकालीन परिप्रेक्ष्य में यह बहुआयामी अवधारणा बन चुकी है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तिकरण जैसे तत्व सम्मिलित हैं। बिहार के संदर्भ में यह देखा गया है कि राज्य ने ग्रामीण विकास की दिशा में कई योजनाओं का आरंभ किया है, जैसे मनरेगा, ग्रामीण सड़क योजना, जीविका कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन एवं उज्ज्वला योजना। हालांकि, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानता, प्रशासनिक जटिलताएँ और जन–जागरूकता की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख अवरोध बनकर उभरे हैं। सामाजिक संकेतकों जैसे साक्षरता दर, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा कृषि उत्पादकता में भी बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रहा है। वर्तमान स्थिति में ग्रामीण विकास को गति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज प्रणाली को सशक्त करने, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा तकनीकी नवाचार को ग्राम स्तर तक पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल ग्राम पंचायत, आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम ग्रामीण संरचना को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। बिहार में ग्रामीण विकास की अवधारणा अब कृषि–केंद्रित न रहकर समग्र सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हो रही है। हालाँकि चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, परंतु शासन की प्रतिबद्धता, जनसहभागिता और दीर्घकालिक योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास को एक स्थायी एवं समावेशी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

मुख्य–शब्दः ग्रामीण विकास, बिहार, मनरेगा, पंचायती राज, सामाजिक संकेतक, महिला सशक्तिकरण, कृषि, संरचनात्मक विकास।

परिचय

ग्रामीण विकास भारत के समग्र आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का एक अनिवार्य घटक है। विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य के संदर्भ में, जहाँ जनसंख्या का लगभग 89 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, वहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गति ही राज्य की प्रगति की दिशा निर्धारित करती है। बिहार की ग्रामीण संरचना न केवल कृषि उत्पादन की रीढ़ है, बल्कि वह राज्य की श्रम शक्ति, उपभोक्ता आधार और सांस्कृतिक निरंतरता का केंद्र भी है। बिहार की अर्थव्यवस्था पर यदि दृष्टि डाली जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि कृषि और ग्रामीण गतिविधियाँ आज भी प्रमुख आर्थिक स्तंभ हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2021–22 में लगभग 21.5 प्रतिशत रहा, जबकि इसमें कार्यरत जनसंख्या का अनुपात इससे कहीं अधिक है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य की अधिकांश जनसंख्या अपनी जीविका के लिए खेती, पशुपालन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों पर निर्भर है। बिहार में धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, तथा सब्जियों की खेती व्यापक पैमाने

पर होती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकर, लकड़ी एवं बाँस शिल्प, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन निर्माण तथा डेयरी जैसे लघु एवं कुटीर उद्योग भी सक्रिय हैं। ये सभी गतिविधियाँ ग्रामीण जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान देती हैं। साथ ही, प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या बिहार से अन्य राज्यों में कार्यरत रहती है, जिनके द्वारा भेजे गए धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। इस प्रकार बिहार की ग्रामीण संरचना केवल कृषि–प्रधान नहीं, बल्कि विविध संसाधनों और श्रमिक–प्रधान गतिविधियों से युक्त है, जिसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक महत्व है।

बिहार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को देखते हुए ग्रामीण विकास से संबंधित शोध अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक ओर जहाँ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी, संसाधनों का अपव्यय और प्रशासनिक जटिलताएँ ग्रामीण विकास की राह में प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। यद्यपि सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जीविका परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना आदि परंतु इनकी वास्तविक प्रभावशीलता और ग्रामीण जनता तक इनकी पहुँच का मूल्यांकन आवश्यक है। शोध इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह यह स्पष्ट कर सकता है कि किन क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभाव अपेक्षित है, और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही यह अध्ययन ग्रामीण समाज में व्याप्त असमानताओं, जातीय एवं लैंगिक भेदभाव, संसाधन वितरण की विषमता, और पर्यावरणीय चुनौतियों को उजागर करने में सहायक हो सकता है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ ग्रामीण आबादी की निर्भरता परंपरागत संसाधनों पर है, वहाँ वैकल्पिक रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन की दिशा में शोध–आधारित नीति–निर्माण अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का समग्र विश्लेषण करते हुए यह समझना है कि ग्रामीण विकास की नीतियों और योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक सहभागिता जैसे विषयों को विश्लेषण की दृष्टि से केंद्र में रखा गया है। शोध का स्वरूप वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दोनों है। इसमें द्वितीयक स्रोतों जैसे सरकारी रिपोर्ट, नीति–पत्र, जनगणना आंकड़े, पंचायती राज के दस्तावेज, शैक्षणिक जर्नल और शोध ग्रंथों का उपयोग किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन की व्यावहारिक चुनौतियों और संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

ग्रामीण विकास की अवधारणाः एक सैद्धांतिक विवेचन

ग्रामीण विकास की अवधारणा समकालीन अर्थशास्त्रीय विमर्श में एक बहुआयामी विचारधारा के रूप में उभरी है, जिसका केंद्र बिंदु केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, स्वावलंबन और मानव गरिमा का समुचित पोषण है। यह अवधारणा भारत जैसे देश, और विशेषतः बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। ग्रामीण विकास का अर्थ केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि या ग्रामीण आय में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रामीण समुदाय के समग्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार, "ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर जीवन–स्तर प्रदान करने की समग्र प्रक्रिया से है।" इसका अभिप्राय हैकृस्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आवागमन, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता का समन्वित विकास। ग्रामीण विकास के प्रमुख तत्वों में रोजगार सृजन, बुनियादी अवसंरचना का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण वित्तीय समावेशन और ग्राम–स्तरीय संस्थाओं का सशक्तिकरण सम्मिलित हैं। इन सभी तत्वों की एकता और समन्वय से ही ग्रामीण विकास एक व्यवहारिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया बन पाता है।

परंपरागत रूप से विकास को आर्थिक संकेतकोंकृजैसे सकल घरेलू उत्पाद, आय, उत्पादन, खपतकृके माध्यम से मापा जाता रहा है। किंतु समकालीन समय में यह दृष्टिकोण सीमित और एकांगी माना जाने लगा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या सामाजिक वंचना, भूमिहीनता, बेरोजगारी और लैंगिक विषमता का सामना करती है, वहाँ केवल आर्थिक विकास असमानताओं को समाप्त नहीं कर सकता।? इसलिए आज समावेशी विकास की अवधारणा को महत्व दिया जा रहा है। यह न केवल आय में वृद्धि पर बल देती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि विकास के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषतः वंचित समुदायों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों तक पहुँचे। समावेशी विकास का लक्ष्य सामाजिक–आर्थिक समानता, सहभागिता, सशक्तिकरण

और स्थायित्व है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ सामाजिक विविधता और क्षेत्रीय असमानताएँ प्रबल हैं, वहाँ केवल आर्थिक विकास की अवधारणा पर्याप्त नहीं है। समावेशी दृष्टिकोण के बिना ग्रामीण विकास का कोई भी प्रयास अधूरा माना जाएगा।

ग्रामीण विकास में मानव पूंजी का स्थान केंद्रीय है। मानव पूंजी का तात्पर्य केवल जनसंख्या से नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, जागरूकता और उत्पादकता से है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव पूंजी का विकास तभी संभव है जब प्राथमिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और तकनीकी ज्ञान की पर्याप्त उपलब्धता हो। संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। जल, भूमि, वनों और जैव विविधता का सतत और न्यायसंगत उपयोग ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। लेकिन इन संसाधनों का केवल केंद्रीकृत नियंत्रण विकास की प्रक्रिया में बाधक होता है। इसके लिए स्थानीय सहभागिता अनिवार्य है। वास्तव में, ग्राम स्तर पर योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी ही ग्रामीण विकास को टिकाऊ बनाती है। महात्मा गांधी ने भी श्ग्राम स्वराजश की अवधारणा के माध्यम से ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर और स्वशासित बनाने का सपना देखा था। इसी विचारधारा को वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में साकार किया जा रहा है। इस प्रकार ग्रामीण विकास की अवधारणा को एक समग्र, बहुआयामी और सहभागी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और पारिस्थितिकीय संतुलन की भी समान रूप से चिंता हो। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ विकास की गति को ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों ने प्रभावित किया है, वहाँ इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण का व्यवहारिक क्रियान्वयन ही ग्रामीण उत्थान की कुंजी है।

बिहार का ग्रामीण स्वरूप–ऐतिहासिक और सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य

बिहार का ग्रामीण परिदृश्य भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषि–संस्कृतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के गांवों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जनसांख्यिकीय विविधता और कृषि–आधारित आर्थिक संरचना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूलभूत स्वरूप को दर्शाते हैं। भारत की जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 92.0 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। यह प्रतिशत देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है, जो दर्शाता है कि बिहार अब भी मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। ग्रामीण जनसंख्या का यह घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1,102 है, जो संसाधनों पर अत्यधिक दबाव का संकेतक है। जनसंख्या के इस वितरण ने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, परिवहन तथा रोजगार जैसे क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात (918 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष) और साक्षरता दर (61.8 प्रतिशत) भी राज्य के सामाजिक विकास संकेतकों की जटिलता को रेखांकित करते हैं। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाओं की अधिक आवश्यकता है और नीति–निर्माण में ग्राम केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिएबिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक आधार भूमि और कृषि है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र मगध, मिथिला और वैशाली जैसे समृद्ध कृषि–प्रधान जनपदों का केंद्र रहा है। यहाँ की मिट्टी गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लायी गई जलोढ़ मिट्टी है, जो अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। राज्य की लगभग 76 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न है। भूमि उपयोग की दृष्टि से बिहार में औसतन जोत आकार बहुत छोटा है दृ 0. 39 हेक्टेयर (एनएसएसओ रिपोर्ट, 2018), जिससे भूमि की विखंडन समस्या गंभीर रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सिंचाई की स्थिति भी मिश्रित है। यद्यपि राज्य में गंडक, कोसी, सोन जैसी बड़ी नदियाँ हैं, फिर भी कृषि का एक बड़ा भाग मानसून पर निर्भर रहता है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल केवल 58 प्रतिशत है, जिसमें से अधिकांश जलाशयों, नलकूपों और नहरों पर निर्भर करता है। बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था में धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, आलू और गन्ना प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त बागवानी और मत्स्य पालन जैसे कृषि आधारित उद्यम भी तेजी से उभर रहे हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भूमि और सिंचाई पर केंद्रित योजनाएँ यदि लक्षित ढंग से चलाई जाएँ तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है।

बिहार का ग्राम्य जीवन बहुआयामी सामाजिक–सांस्कृतिक ताने–बाने से युक्त है। यहाँ की ग्रामीण संरचना जातीय विविधता, धार्मिक सहअस्तित्व, पारंपरिक संस्थाओं और ग्राम्य लोकसंस्कृति का जीवंत उदाहरण है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महादलित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनकी सामाजिक भागीदारी और आर्थिक अवसरों में असमानता अक्सर ग्रामीण विकास की राह में अवरोध

उत्पन्न करती है। ग्राम्य जीवन में कृषि पर्व जैसे छठ, होली, हरियाली तीज, जिउतिया आदि सामाजिक समरसता और पर्यावरण चेतना के प्रतीक हैं। पारंपरिक पंचायतें, खेत–खलिहान की साझेदारी और पारिवारिक सामूहिकता ग्रामीण जीवन को आत्मनिर्भर और सहयोगात्मक बनाती हैं। हालांकि, आधुनिक दौर में यह संस्कृति सामाजिक परिवर्तन, प्रवासन, शहरीकरण और बाजार आधारित संरचनाओं से प्रभावित हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार के ग्रामीण समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, विशेषतः जीविका समूहों के माध्यम से। इसके बावजूद अभी भी स्त्री–शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता एवं निर्णय–निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता बनी हुई है। ग्राम्य जीवन के सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष बिहार के विकास के लिए आवश्यक सामाजिक पूंजी के रूप में देखे जा सकते हैं।

बिहार में ग्रामीण अधोसंरचना का विकास

ग्रामीण अधोसंरचना किसी भी राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है। विशेषकर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वहाँ आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की सुदृढ़ता ग्रामीण समाज की गुणवत्ता, उत्पादकता और जीवन स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ग्रामीण अधोसंरचना में सड़क, परिवहन, विद्युत, सिंचाई, आवास, पेयजल, संचार और डिजिटल सेवाएँ सम्मिलित हैं। बिहार की ग्रामीण सड़कों की स्थिति बीते दो दशकों में सरकार की योजनात्मक पहलों के कारण कुछ हद तक सुधरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई पंचायतों और गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। वर्ष 2022 तक बिहार में लगभग 1.55 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क विकसित किया जा चुका था, परंतु अब भी कई दूरवर्ती गांवों में संपर्क मार्गों की स्थिति दयनीय है, जिससे वर्षा ऋतु में आवागमन बाधित होता है। परिवहन की बात की जाए तो राज्य परिवहन निगम की सेवाएँ अपेक्षाकृत कम हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी वाहन एवं ऑटो रिक्शा प्रमुख साधन हैं। बस स्टैंड, टर्मिनल और यात्री शेड जैसी सुविधाएँ अधिकांश ग्रामों में नहीं हैं, जिससे ग्रामीण जन विशेषकर महिलाएँ, वृद्धजन और छात्र–छात्राएँ असुविधा का अनुभव करते हैं।

विद्युतिकरण के संदर्भ में राज्य सरकार की ष्हर घर बिजली योजनाष् के तहत व्यापक प्रगति दर्ज की गई है। 2021 तक सभी गांवों का शत–प्रतिशत विद्युतीकरण दर्शाया गया, परंतु यह केवल तारों की उपस्थिति तक सीमित रहा है। व्यावहारिक रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अनियमित, वोल्टेज में उतार–चढ़ाव युक्त तथा ट्रांसफार्मर और पोलों की बारंबार खराबी की शिकायतें सामान्य हैं। ऊर्जा की गुणवत्ता और सतत आपूर्ति अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

कृषि आधारित बिहार में सिंचाई की सुविधाओं का स्तर ग्रामीण विकास का प्रमुख निर्धारक है। राज्य की कुल कृषि भूमि का लगभग 58 प्रतिशत भाग सिंचित है। परंपरागत सिंचाई के साधन जैसे कुएँ, नहरें, तालाब और हाल के वर्षों में डीजल व विद्युत पंपों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आम है। गंडक, कोसी और सोन परियोजनाओं ने सिंचाई नेटवर्क को कुछ क्षेत्रों में सुदृढ़ किया है, लेकिन असमान वितरण और बार–बार आई बाढ़ से कई क्षेत्रों की कृषि निर्भरता अभी भी वर्षा पर ही टिकी हुई है। आवास की दृष्टि से बिहार की ग्रामीण जनता आज भी मिट्टी, खपरैल, और फूस के अस्थायी घरों में निवास करती है। यद्यपि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाखों परिवारों को पक्का मकान प्रदान किए गए हैं, फिर भी जनसंख्या घनत्व और संसाधनों की कमी के कारण यह योजना पूर्ण समावेशी नहीं बन सकी है। वर्ष 2022 तक लगभग 45 लाख घर स्वीकृत किए जा चुके थे, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत का निर्माण पूर्ण हुआ था। पेयजल की स्थिति भी चिंता का विषय रही है। ग्रामीण बिहार में जल स्रोतों का प्रमुख आधार हैंडपंप हैं। राज्य सरकार की 'हर घर नल का जल' योजना के अंतर्गत घर–घर पाइपलाइन से जल आपूर्ति की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु जल की गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति अब भी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। कई जिलों में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या भी पीने योग्य जल को दूषित बना रही है।

21वीं सदी में ग्रामीण विकास अब केवल सड़कों या बिजली तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब ग्रामीण समावेशन का आधार बन गई है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से 'डिजिटल ग्राम' की संकल्पना को लागू करने के लिए भारत नेट योजना, और मोबाइल टावर नेटवर्क का विस्तार किया गया है। अब लगभग 85: ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा सुलभ है, परंतु इसकी गति, तकनीकी समझ और स्थायित्व अब भी चुनौतिपूर्ण है। डिजिटल शिक्षा, ई–स्वास्थ्य, ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी सेवाओं की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में तब ही सफल हो सकती है जब बुनियादी डिजिटल संरचना मज़बूत हो। विद्यालयों में

स्मार्ट क्लास, पंचायत कार्यालयों में ई–गवर्नेंस तथा किसानों के लिए कृषि पोर्टल्स की पहुँच डिजिटल अधोसंरचना को ग्राम्य जीवन में समाहित करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे प्रमुख स्तंभ हैं, जो मानव संसाधन की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्राम्य क्षेत्रों में निवास करती है, वहाँ इन दोनों क्षेत्रों की स्थिति समाज की समग्र प्रगति का प्रतिबिंब बन जाती है। हालाँकि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से इन क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी स्थिति असमान और कई स्तरों पर असंतुलित बनी हुई है। बिहार के ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार तो हुआ है, परंतु गुणवत्ता और निरंतरता की दृष्टि से अभी भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 तक राज्य में कुल 72,663 प्राथमिक विद्यालय और 38,234 माध्यमिक विद्यालय थे, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, और हाल की दीक्षा पहल जैसे कार्यक्रमों से नामांकन दर में वृद्धि तो हुई, परंतु विद्यालय में उपस्थिति, शिक्षकों की अनुपलब्धता, और आधारभूत संरचना की कमी अब भी गंभीर समस्याएँ हैं। ग्रामीण विद्यालयों में शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पेयजल, और डिजिटल उपकरणों का अभाव सामान्य रूप से देखा जाता है। शिक्षकों का बहुपदस्थापन, समय पर वेतन न मिलना और प्रशिक्षण की कमी भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर छात्र–छात्राओं के बीच ड्रॉपआउट दर अधिक देखी जाती है, विशेषकर किशोरियों में यह समस्या अधिक गंभीर है, जिसका संबंध सामाजिक रूढ़ियों, विवाह की परंपरा और विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण की कमी से जुड़ा है।

बिहार के ग्रामीण स्वास्थ्य ढाँचे में उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीन प्रमुख स्तरों पर सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 तक राज्य में 9,123 उपस्वास्थ्य केंद्र, 1,899 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 421 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत थे, परंतु जनसंख्या की तुलना में यह अनुपात अत्यंत असमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की पहुँच, विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में अब भी अत्यंत सीमित है। स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी, पर्याप्त दवाओं और उपकरणों की अनुपलब्धता तथा आपातकालीन सेवाओं का अभाव स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता को सीमित करता है। मातृत्व सेवाओं की अनुपलब्धता और प्रसव के समय संस्थागत सुविधाओं की कमी के कारण महिला व शिशु मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है। आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सेविकाओं की भूमिका अत्यंत सराहनीय है, परंतु उन्हें मिलने वाला प्रशिक्षण, संसाधन और सम्मानजनक वेतन स्तर भी नीति निर्माताओं के लिए चिंतन का विषय बना हुआ है।

बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ जैसे 'आंगनवाड़ी केंद्र योजना', 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना', 'जननी सुरक्षा योजना' और 'पोषण अभियान' ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सुधारने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और नवजात शिशु देखभाल की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। हालाँकि योजनाओं की संकल्पना प्रभावी है, लेकिन इनका क्रियान्वयन कई अड़चनों से ग्रस्त है। कई ग्रामों में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति खराब है, समय पर पोषण आहार उपलब्ध नहीं होता, और लाभार्थियों में योजना की जानकारी का अभाव है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 35.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए, जो दर्शाता है कि पोषण योजनाओं के प्रभाव को और अधिक व्यावहारिक, लक्षित और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, किशोरी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, मासिक धर्म प्रबंधन, और आयरन–सप्लीमेंटेशन जैसी योजनाओं की पहुँच अब भी सीमित है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच अंतर्संबंध को समझते हुए एक समन्वित नीति की आवश्यकता है, जो ग्राम स्तर पर बच्चों और महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित कर सके।

ग्रामीण रोजगार और आजीविका के साधन

बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में ग्रामीण आजीविका की संरचना पारंपरिक कृषि, सहायक गतिविधियाँ, मौसमी श्रम, तथा सरकारी योजनाओं पर आधारित विविधतापूर्ण है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में आजीविका केवल आय का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और मानवीय गरिमा से भी जुड़ा हुआ विषय है। विशेषकर बिहार में, जहाँ ग्रामीण बेरोजगारी, प्रवासन और श्रम के असंगठित स्वरूप की व्यापकता देखी जाती है, वहाँ रोजगार की संरचना और उसमें विविध सामाजिक वर्गों की भागीदारी का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक हो जाता

है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर अत्यधिक आश्रित है। राज्य की कुल श्रमशक्ति का लगभग 70 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में संलग्न है। परंतु यह आश्रय स्थायित्व प्रदान नहीं करता क्योंकि कृषि यहाँ मुख्यतः मानसून पर आधारित है, जो इसे जोखिमपूर्ण और मौसमी बना देता है। कृषि कार्यों की सीमित अवधि और सिंचाई की असमानता के कारण वर्ष भर स्थायी रोजगार की उपलब्धता नहीं हो पाती। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिक मौसमी प्रवासी श्रमिक बनकर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। खेती के अतिरिक्त मजदूरी, पशुपालन, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, बागवानी एवं कुटीर उद्योग जैसे सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार की संभावनाएँ हैं। किन्तु इन क्षेत्रों में भी संरचना का अभाव, प्रशिक्षण की कमी और बाजार से जुड़ाव की समस्याएँ विकास को बाधित करती हैं। लघु जोतधारी किसान, बटाईदार और खेतिहर मजदूर आज भी न्यूनतम मजदूरी, कर्ज और आय की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक आज़ादी सीमित हो जाती है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) बिहार में ग्रामीण रोजगार का एक बड़ा स्त्रोत बनकर उभरा है। यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। बिहार सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, राज्य में लगभग 1.12 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं और प्रतिवर्ष औसतन 60–70 दिनों का कार्य प्रदाय होता है। मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, सिंचाई कूप, तालाबों की खुदाई, एवं सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण जैसे कार्यों के माध्यम से रोजगार और परिसंपत्ति निर्माण दोनों में योगदान दिया है। इस योजना के माध्यम से विशेषकर महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों को आय का स्रोत प्राप्त हुआ है, जिससे सामाजिक समावेशन को भी बल मिला है। हालाँकि मनरेगा के क्रियान्वयन में कुछ व्यवहारिक समस्याएँ भी रही हैं, जैसे कार्य का समय पर न मिलना, भुगतान में विलंब, मस्टर रोल की पारदर्शिता में कमी और ग्राम पंचायतों की क्षमता की सीमा। फिर भी यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवनरेखा देने वाली सिद्ध हुई है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप, निगरानी और सामाजिक लेखा–जोखा (वबपंस ंनकपज) की सुदृढ़ व्यवस्था आवश्यक है।

बिहार की सामाजिक–आर्थिक संरचना का एक बड़ा भाग ग्रामीण परिवेश में रचा–बसा है, जहाँ की जनसंख्या न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है, बल्कि अर्थव्यवस्था की जीवंत इकाई के रूप में भी सक्रिय है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण विकास योजनाएँ केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि मानव संसाधन विकास, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने की दिशा में व्यापक प्रयासों को समाहित करती हैं। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के अंतर्गत चलाई जा रही ष्जीविकाष योजना राज्य की सबसे सशक्त सामाजिक–आर्थिक पहलों में से एक है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को संगठित कर उन्हें वित्तीय, सामाजिक और संस्थागत रूप से सशक्त बनाना है। जीविका योजना 2007 में विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ हुई थी और आज यह राज्य के सभी 38 जिलों में सक्रिय है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठन, संकुल स्तर संगठन और उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। ये समूह महिलाओं को छोटे ऋण, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, विपणन सहयोग और सामुदायिक नेतृत्व में भागीदारी के अवसर प्रदान करते हैं। जीविका से जुड़ी महिलाएँ अब बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सिलाई–कढ़ाई, किराना दुकानों एवं कृषक उत्पादक समूहों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति सशक्त हुई है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की समग्र आजीविका सुरक्षा में भी सुधार हुआ है।

बिहार में ग्रामीण विकास की वर्तमान स्थिति– चुनौतियाँ और अवसर

बिहार, एक प्रमुख कृषि–प्रधान राज्य होने के बावजूद, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आज भी अनेक संरचनात्मक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है। स्वतंत्रता के बाद से अनेक सरकारी योजनाओं, पंचायती राज व्यवस्था और संसाधन आवंटन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, फिर भी राज्य की ग्रामीण संरचना अब भी पिछड़ेपन और असंतुलन का शिकार है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज भी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि की सीमित उत्पादकता, भूमि के असमान वितरण और पूँजी की कमी के कारण रोजगार के अवसर अपर्याप्त हैं। यही कारण है कि राज्य के युवाओं में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। नेशनल सैंपल सर्वे (2021) के अनुसार बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी दर लगभग 9.8 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस बेरोजगारी का परिणाम बड़े पैमाने

पर श्रमिक पलायन के रूप में सामने आता है। बिहार से लाखों श्रमिक प्रतिवर्ष दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में असंगठित क्षेत्र में कार्य के लिए पलायन करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की श्रमशक्ति में असंतुलन उत्पन्न होता है। साथ ही, पलायन से स्थानीय सामाजिक ढाँचा प्रभावित होता है और गाँवों में महिला–प्रधान परिवारों की संख्या बढ़ती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक तनाव उत्पन्न होते हैं।

बिहार का ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है, और जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अनियमित मानसून, सूखा, समय–पूर्व वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने कृषि उत्पादन को अस्थिर बना दिया है। विशेषतः कोसी, गंडक और घाघरा जैसी नदियों के किनारे स्थित जिलों में बार–बार की बाढ़ किसानों की फसल, भूमि और पूँजी को क्षति पहुँचाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट (2020) के अनुसार, बिहार में प्रति वर्ष लगभग ध्1,500 करोड़ की कृषि क्षति केवल मौसम आधारित जोखिमों के कारण होती है। इससे खाद्य सुरक्षा, आय और रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं। कृषि संकट का सबसे बड़ा असर लघु और सीमांत किसानों पर होता है, जिनके पास न तो वैकल्पिक आय स्रोत होते हैं और न ही बीमा या ऋण सुविधा की सुलभता। बिहार के ग्रामीण विकास में कुछ सकारात्मक संकेत भी देखने को मिले हैं, विशेष रूप से स्थानीय उद्यमिता और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में। जीविका योजना और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ैत्स्ड) के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों ने सूक्ष्म–उद्योगों की स्थापना, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि में उल्लेखनीय प्रगति की है। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल–आधारित कृषि सलाह और ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण उत्पादों को व्यापक बाजार प्रदान करने में मदद की है। साथ ही, कृषि यांत्रिकीकरण, सौर सिंचाई पंप, स्मार्ट खेती तकनीकों और ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली जैसी नवाचारात्मक पहलों ने विकास की नई दिशा दी है। स्टार्टअप नीति 2022 और जिला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जैसे संस्थानों की सक्रियता से ग्राम स्तरीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला है। हालाँकि इन सभी नवाचारों की सफलता का दायरा अब भी सीमित है, मुख्यतः शिक्षा की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और पूँजी निवेश में झिझक के कारण। यदि नीति–निर्माता इन चुनौतियों को संबोधित करते हुए योजनाओं की पहुँच और क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें, तो बिहार का ग्रामीण परिदृश्य सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो सकता है।

निष्कर्ष

बिहार के ग्रामीण विकास की दशा और दिशा का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि राज्य की सामाजिक–आर्थिक संरचना, ऐतिहासिक उपेक्षा, प्राकृतिक आपदाएँ तथा संसाधनों की असमानता के कारण व्यापक विकास की गति अभी भी बाधित है। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएँ, पंचायती राज प्रणाली की मजबूती तथा ग्रामीण अधोसंरचना में सुधार जैसे कदमों के बावजूद विकास के बहुआयामी लक्ष्यों की पूर्ति में एक समन्वित दृष्टिकोण का अभाव देखा गया है। अतः ग्रामीण विकास की अवधारणा को अब एकीकृत और सहभागी मॉडल की ओर उन्मुख करना समय की माँग बन चुकी है। एकीकृत ग्रामीण विकास का अर्थ केवल अधोसंरचना निर्माण या गरीबी उन्मूलन से नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और संस्थागत समावेशन का समग्र ढाँचा प्रस्तुत करता है। बिहार के संदर्भ में इसके लिए सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण की आवश्यकता है जिसमें कृषि के साथ–साथ कृषि–आधारित लघु उद्योगों, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, पशुपालन और सेवा क्षेत्रों को सशक्त किया जाए। युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर उद्योग प्रशिक्षण केंद्रों और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थापना अनिवार्य है। ग्रामीण विकास में तकनीकी नवाचारों का समावेश आवश्यक है। कृषि में ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, मौसम आधारित फसल पूर्वानुमान जैसी तकनीकों के प्रसार से किसानों की आय और उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि हो सकती है। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल आधारित सेवाएँ और ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी समावेशी विकास के वाहक बन सकते हैं। निष्कर्षतः, बिहार में ग्रामीण विकास की अवधारणा को व्यवहार में सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए न केवल योजनाओं का विस्तार आवश्यक है, बल्कि उनमें सहभागिता, पारदर्शिता, नवाचार और स्थानीय सशक्तिकरण की भावना भी अनिवार्य है। तभी एक समृद्ध, स्वावलंबी और सतत ग्रामीण बिहार की परिकल्पना साकार हो सकती है।

Author's Declaration:

The views and contents expressed in this research article are solely

those of the author(s). The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible for any errors, ethical misconduct, copyright infringement, defamation, or any legal consequences arising from the content. All legal and moral responsibilities lie solely with the author(s).

संदर्भ

1. कोली, एल एन, (2016), भारतीय अर्थव्यवस्था, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
2. आलम, म. (2014), ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. मिश्र, एस के, एवं पुरी, वी के, (2010), भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ।
4. त्रिपाठी, र, (2011), ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
5. गोयल, आर के, एवं दयाल, एस, (2013), कृषि अर्थशास्त्र, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
6. स्वामी, एच आर, एवं गुप्ता, बी पी , ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, आर बी डी पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
7. गुप्ता, वी पी, एवं स्वामी, एच आर, भारत में आर्थिक पर्यावरण, आर बी डी प्रकाशन, जयपुर।
8. प्रकाशन विभाग, (2015), ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव, कुरुक्षेत्र, दिल्ली।
9. गुप्ता, वी पी, एवं स्वामी, एच आर, (2019), भारत में आर्थिक पर्यावरण, आर बी डी प्रकाशन, जयपुर।
10. अग्रवाल, एम डी, गुप्ता, बी पी, एवं माथुर, बी एल, सहकारी चिन्तन एवं ग्रामीण विकास, आर बी डी प्रकाशन, जयपुर।
11. हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, (2017), ग्रामीण विकास योजनाएं (एक मार्गदर्शिका), नीला खेड़ी, हरियाणा।
12. दुबे, आर. ए., (2020), आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल पब्लिशर्स हाउस, नई दिल्ली।

Cite this Article-

'ज्योति बाला कुमारी', 'बिहार में ग्रामीण विकास की अवधारणा और वर्तमान स्थिति', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:07, July 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/
DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i70005
Published Date- 03 July 2025